न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक
(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 70 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 09.10.2023

शुभभ खण्डेलवाल पुत्र औम प्रकाश गुप्ता (पौत्र राशन विकेता स्व.रामेश्वर प्रसाद गुप्ता) जाति महाजन निवासी बमोर तहसील व जिला टोंक राज0

--अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक

--रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01.12.2022 जिला रसद अधिकारी टोंक व जिला रसद अधिकारी टोंक की विज्ञप्ति (नवीन दुकान आवंटन) दिनांक 05.01.2023

उपस्थितिः—1.श्री सरताज अहमद अभिभाषक —अपीलान्ट की ओर से
2.श्री धर्मचन्द अग्रवाल पेराकार सरकार —रेस्पाडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांक 04.03.2025

अपील अपीलान्ट सांराश में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 23.11.2021 को ग्राम बमोर तहसील टोंक में उचित मूल्य दूकान आवंटन हेतु अपीलांट का उचित मूल्य दुकान के लिय चयन किया गया था, जिससे रेस्पोडेंट ने दिनांक 01.12.2022 को निरस्त करने का आदेश पारित किया। इस आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। बहस अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट की ओर से जिला रसद अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 01.12.2022 व जिला रसद अधिकारी, टोंक की विज्ञप्ति (नवीन दुकान आवंटन)दिनांक 05.01.2023 से व्यथित होकर एक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के समक्ष, पुनरीक्षण याचिका सख्या 09/2023 प्रस्तुत की थी, जिसे माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश दिनाक 23.08.2023 द्वारा निस्तारित करते हुए, यह आदेश पारित किया है कि अपीलार्थी के पास खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के

जिला कलेक्टर
टोंक

खण्ड 22 में श्रीमान जिला कलेक्टर के यहां अपील करने हेतु विधिक उपचार उपलब्ध था और ऐसी स्थिति मे सीधे तौर पर रिवीजन के बजाय माननीय जिला कलेक्टर के समक्ष अपील पेश करनी चाहिये थी और इसी आधार पर अपीलांट का मामला प्रथम दृष्ट्या सिद्ध पाते हुए अपीलांट की निगरानी याचिका को निस्तारित करते हुए अपीलांट को निर्देशित किया है कि वह न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी अपने आदेश में उल्लेख किया है कि अपील की मियाद की गणना उनके निर्णय की दिनांक से की जावे और साथ ही यह भी आदेश पारित किया है कि जब तक न्यायालय श्रीमान द्वारा अपीलांट की अपील का निर्णय नहीं कर दिया जाता तब तक प्रश्नगत मामले में उचित मूल्य की दुकान किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की जावे। न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 23.08.2023 की अनुपालना में यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।अपीलांट मृतक राशन डीलर स्व.रामेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी बमोर तहसील व जिला टोंक का पौत्र है। स्व.रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ग्राम बमोर में राशन की दुकान प्राधिकार पत्र संख्या 44 दिनांक 07.11.1977 से संचालित कर रहे थे,जिनका देहांत दिनांक 28.01.2018 को हो गया था।अपीलांट ने अपने दादा के वारिसान की सहमति से उनके वारिस होने के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जिला रसद अधिकारी, टोंक को आवेदन प्रस्तुत किया था, परंतु उस समय खाद्य विभाग के नियमानुसार चाही गई योग्यता के अधीन नहीं होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया गया था।खाद्य विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17 (16) खा.वि./ विधि/ 2011 दिनांक 27–9–2019, 29–11–2019, दिनाक 5–4–2021 को अतिक्रमित करते हुए परिपत्र क्रमांक 17 () खावि/न्याय /2015/ पार्ट–1 दिनांक 23–7–2021 के तहत मृतक डीलर के वारिसान को अनुकम्पा नियुक्ति में शिथिलता प्रदान की गई तो पुनः अपीलांट ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जिला रसद अधिकारी, टोंक को आवेदन प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने अपने आवेदन के साथ अपने दादा स्व. रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के प्राधिकार पत्र संख्या 44 की फोटो प्रति, दादा रामेश्वर प्रसाद का मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वयं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक परीक्षा, 2005 की अंक तालिका, उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2007 की अंक तालिका, यूनिवर्सिटी राजस्थान 2010 की बी. कॉम तृतीय वर्ष की अंक तालिका, इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी ट्रेनिंग कोर्स, 2009 का सर्टिफिकेट तथा आर. एस. सी. आई. टी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का शपथ पत्र व परिवार के समस्त वारिसान की सहमति का शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया है। अपीलांट ने आर. एस. सी. आई. टी के कोर्स के लिए माह जुलाई, 2022 में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया,जिसकी परीक्षा दिनांक 16.10.2022 को आयोजित हुई,परंतु अपीलांट को अंक तालिका प्राप्त नहीं होने के कारण जिला रसद कार्यालय में आर. एस. सी. आई. टी की अंक तालिका प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलांट को कार्यालय रसद अधिकारी, टोंक द्वारा नवीन दुकान आवंटन की विज्ञप्ति दिनांक 05.01.2023 के प्रकाशित होने के पश्चात् जानकारी में आया कि तहसील टोंक की बमोर ग्राम पचायत की उचित मूल्य दुकान बमोर प्रथम के आवंटन के लिए भी जिला रसद कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये है।. जिला रसद अधिकारी, टोंक ने दिनांक 03.06.2022 से अपीलांट की अनुकम्पात्मक नियुक्ति के संबंध में स्व. रामेश्वर प्रसाद गुप्ता का मूल प्राधिकार पत्र व पास्पोर्ट साईज फोटो मांगा गया है अर्थात् दिनांक 03.06.2022 के

जिला कलेक्टर
टोंक

पत्र के पश्चात् ही अपीलाट की जानकारी में यह तथ्य आया कि उसकी अनुकम्पात्मक नियुक्ति हो चुकी है और उसे 8 माह के भीतर वांछित दस्तावेज रसद विभाग में पेश करने है, जिसमें कम्प्यूटर प्रशिक्षण पत्र भी शामिल है और इस हेतु उसे 8 माह का समय प्रदान किया गया है। जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा दिनांक 01.12.2022 अनुसार कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात पेश करने की 8 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही अपीलांट के दादा स्व. रामेश्वर प्रसाद गुप्ता का प्राधिकार पत्र संख्या 44 निरस्त कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, कोटा से आर. एस. सी. आई. टी की परीक्षा नियमानुसार उर्तीण की है और उक्त परीक्षा परिणाम की अंक तालिका भी उसे प्राप्त हो गई है,जो पूर्व में प्राप्त नहीं हुई थी,इसी कारण वह तत्समय रसद विभाग के कार्यालय में पेश नहीं कर पाया था।अपीलांट को सूचना दिये बिना और दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर दिये, बिना ही उसके दादा स्व. रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के पक्ष में पूर्व में जारी प्राधिकार पत्र सख्या 44 को गैर कानूनी रूप से निरस्त कर दिया गया है और उस प्राधिकार के संबंध में प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12. 2022 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक के आदेश कमांक रसद/एफपीएस/अनुकम्पा/2021/6190 दिनांक 23.11. 2021 के द्वारा शर्तो के अधीन अपीलांट को उचित मूल्य दुकान वाके ग्राम बमोर हेतु नियुक्त किया गया था। चयनित अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ कम्प्यूटर प्रमाण पत्र आरएससीआईटी प्रस्तुत नहीं किया गया था। नियुक्ति आदेश कि शर्त संख्या-1 मे कम्प्यूटर प्रमाण पत्र आरएससीआईटी को कम्प्यूटर प्रमाण पत्र आरएससीआईटी तिथि से 8 माह की अवधि मे अनिर्वाय रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे का उल्लेख है। अपीलांट द्वारा नियुक्ति आदेश कि शर्त संख्या-1 की पालना नहीं करने पर दिनांक 01.12.2022 को उक्त दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 44 निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा खाद्य विभाग के निर्देशानुसार आरएससीआईटी का कम्प्यूटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उचित मूल्य दुकान का आवंटन निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जिला कलेक्टर टोंक के आदेश कमांक रसद/एफपीएस/अनुकम्पा/2021/6190 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा शर्तो के अधीन अपीलांट को उचित मूल्य दुकान वाके ग्राम बमोर हेतु नियुक्त किया गया था। अपीलांट को जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आरएससीआईटी का कम्प्यूटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त ही दिनांक 01.12.2022 को प्राधिकार पत्र संख्या 44 निरस्त किया गया है। अपीलांट का नियुक्ति आदेश दिनांक 23.11.2021 का है और अपीलांट के आरएससीआईटी कम्प्यूटर प्रमाण पत्र मे उत्तीण कि दिनांक 07.11.2022 अंकित है। इस प्रकार

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट द्वारा 8 माह की समयावधि मे आरएससीआईटी कम्प्यूटर प्रमाण पत्र जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे प्रस्तुत नही किया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में ही जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा उक्त आदेश पारित किया है। अतः उपरोक्त विवेचन से जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पारित ओदश में कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 01.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक